इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 3 अक्तूबर 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूी

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा ----------4
अर्थव्यवस्था ----------5
बीमा ---------- ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
सूक्ष्मवित्त ----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के ि लए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैं किंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्य तिमाही की समीक्षा - 16 सितम्बर 2011

मौद्रिक उपाय

- अल्पावधिक उधार (देने वाली) दरें (पुनर्खरीद) 25 आधार अंक (bps) बढ़ा कर 8.25% की गईं।
- अल्पावधिक उधार (लेनेवाली) प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दरें 25 आधार अंक (bps) बढ़ा कर 7.25% की गईं।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और बैंक दर को 6% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- बैंकों ने आधार दर को जुलाई के 10.25% से बढ़ा कर अगस्त में औसतन 10.75% किया ।
- बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा के तहत 9.25 % की दर पर एक दिवसीय उधार सुविधा जारी रही।

वृद्धि / मुद्रास्फीति से सम्बन्धित पूर्वानुमान

- वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 8% की वृद्धि के पूर्वानुमानों के प्रति जोखिम में कमी।
- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछली तिमाही के 7.8% से घट कर 2011-12 की पहली तिमाही में 7.70% हुई।
- अगस्त में मुद्रास्फीति 9.78% के उा स्तर पर कायम रही।

- पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि ने मुद्रास्फीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के अलावा थोक मूल्य सूचकांक में 7 आधार अंकों की वृद्धि की।

मुख्य घटनाएं

मुद्रास्फीति को मुद्रा (करेंसी) मिली

भारत पहली बार 2011-12 में 1000 रुपये में मूल्यवर्गित नोट 500 रुपये के जितनी ही मुद्रित करेगा। अक्तूबर 2000 में 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन किए जाने के ग्यारह वर्षों के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2000 मिलियन नये ऐम्बर-लाल 1000 रुपये के नोटों के लिए आदेश दिया है। ें, 1987 में प्रचलन में आने वाले जैतूनी-और-पीले रंग वाले 500 रुपये के नोटों का आदेश पिछले वर्ष से घटा कर आधा करते हुए 2000 मिलियन कर दिया गया है। मूल्य की दृष्टि से 1000 रुपये वाले नये नोट 2 लाख करोड़ रुपये तक और 500 रुपये वाले नोट 1 लाख करोड़ रुपये तक के होंगे। बैंक भी उनके एटीएमों में डालने के उद्देश्य से बैंक और नकदी वितरकों के बीच लाने और ले जाने वाली नकदी से भरी पेटियों की संख्या में कमी लाने के लिए 1000 वाले और नोट चाहते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन अनिवार्य किए

बैंकिंग लाइसेंसों की मांग करने वाले औद्योगिक घरानों और कम्पनियों को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के तौर-तरीके खोजने होंगे, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये बैंकों के लिए उनकी एक चौथाई शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य कर दिया है। यद्यपि शाखाएं खोलने के किफायती तरीके खोज निकालने की तुलना में बैंक रहित क्षेत्रों में शाखाओं से कारबार का सृजन नये बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तथापि वे अपनी लागत को कम रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

ग्राहक राजा होता है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग को ग्राहकोनुकूल अनुभव बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रारंभ किए हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की रिपोर्ट के बाद अब बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन ने छोटे निवेशकों एवं ग्राहकों के हितों को संरक्षित करने के लिए कई एक सिफारिशें की हैं। इन सुझावों में बैंकों द्वारा किसी ग्राहक के जमा एवं ऋण सहित सभी खातों के सम्बन्ध में कोर बैंकिंग जैसी प्रौद्यो गिकी की सहायता से एक ही दृष्टिकोण अपनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने का समावेश है। दामोदरन समिति की रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सेवा सुपुर्दगी के सम्बन्ध में गति एवं गुणवत्ता के प्रति ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इन

सिफारिशों में यह कहा गया है कि ग्राहकों को किसी बैंक द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद के बारे में यथो चित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। जमा, आहरण और पासबुकों के अद्यतन जैसे सभी मूलभूत लेनदेन ग्राहक के कतार में एक बार से अधिक प्रतीक्षा को जरूरी बनाए बिना आवश्यक रूप से एक बार में ही कर दिए जाने चाहिए।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

प्राथमिक व्यापारियों (PDs) के लिए प्राधिकरण मानदंड संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों (PDs) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिक व्यापारी के लिए आवेदन करने के इच्छुक बैंकों को 1000 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल-स्वाधिकृत निधियों (NOF), जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम 9% की पूंजी और 3% से कम की निवल अनर्जक आस्तियों वाला होना चाहिए। बैंक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह पिछले तीन वर्षों से लाभार्जन करने वाला भी हो। बैंक की सहायक कम्पनी अथवा किसी विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी जैसे बैंकेतर आवेदक के लिए न्यूनतम 150 करोड़ रुपये की निवल-स्वाधिकृत निधियों वाला होना आवश्यक है, जबकि विविधीकृत प्राथमिक व्यापारी के लिए 250 करोड़ रुपये आवश्यक होंगे।

1000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति जरूरी

अब बैंकों के लिए 1000 रुपये से अधिक की चुकता (प्रदत्त) पूंजी जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रत्येक खण्ड के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। भारतीय रि ज़र्व बैंक इस बात की जांच करेगा कि बैंक सम्बन्धित उधार देने और स्व-लेनदेन में संलग्न रहा है अथवा नहीं, कारपोरेट अभिशासन के मानक पर्याप्त हैं अथवा नहीं और समेकित पर्यवेक्षण को सुगम बनाने के लिए प्रवर्तक समूह से सूचना प्राप्त होती है अथवा नहीं। किसी कम्पनी, उनके व्यावसायिक सहयोगियों, बड़े आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के प्रति प्रवर्तक समूह का ऋण जोखिम (exposure) 10% से अधिक नहीं होगा तथा ऐसी संस्थाओं के प्रति समग्र ऋण जोखिम (exposure) बैंककारी वि नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर बैंक की चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों के 20% से अधिक नहीं होगा।

ग्रामीण ग्राहकों का बैंकिंग उत्पादों को समझना जरूरी

ग्रामीण जन समुदाय को आकर्षित करने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक कतिपय अन्तर्निहित विशेषताओं वाले नो फ्रिल्स खातों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक उन जोखिमों को लेकर चिंतित है, जिनके प्रति बैंक ग्राहकों के उत्पाद को समझ न पाने की स्थिति में अनारक्षित हो सकते हैं। वर्तमान में वित्तीय समावेशन के लिए शून्य शेषराशि वाले मानदंड के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य बनाया गया कोई अन्य उत्पाद नहीं है। बैंक अपनी रणनीति के अनुसार नवोन्मेषन के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक दृढ़तापूर्वक यह अनुभव करता है कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे समावेशन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते समय वित्तीय साक्षरता भी सुनिश्चित करें, ताकि ग्राहक जिन उत्पादों को अपना रहे हैं, उन्हें समझ भी सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्य क्षेत्रों के प्रति अधिक ऋण जोखिम वाले ऋणदाताओं के सम्बन्ध में सतर्कता बढ़ाई

बिजली, आवास और कपड़ा जैसे क्षेत्रो के प्रति अधिक ऋण जोखिम (exposure) के बैंकिंग एवं ऋणदात्री संस्थाओं की आस्ति की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन क्षेत्रों पर संकेन्द्रित ऋणदाताओं के सम्बन्ध में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। यह कार्रवाई बदलते ब्याज दर परिवेश और आसन्न मंदी के संकेतों द्वारा संयोजित इन क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से जुड़े संरचनात्मक मुद्दों की पृष्ठभूमि में की गई है। आधारभूत सुविधा क्षेत्र में आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट वाले जोखिम के अलावा ऋणदाताओं को लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र के समस्यामूलक ऋण में वृद्धि के प्रति भी सतर्क रहना होगा। चूंकि बैंक वित्त की एक भारी रकम बिजली क्षेत्र में उलझी हुई है, भारतीय रिज़र्व बैंक इन ज्वलंत मुद्दों का शीघ्रतापूर्वक निराकरण करना चाहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जहां अनर्जक आस्तियों की समग्र प्रवृत्तियों से अभी तक किसी प्रणालीगत सुभेद्यता का संकेत नहीं मिलता, वहीं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2011 के अंत के 2.35% के स्तर से सीमांत रूप से बढ़ कर जून 2011 के अंत में 2.52% हो गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

कार्डों के अधिक उपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित होगी

धोखाधड़ी को न्यूनतम करने और लेनदेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से आगामी दो वर्षों की अवधि में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के सम्बन्ध में विविध प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कहा है। बैंकों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन प्रथाएं अपनाने के साथ ही मौजूदा भुगतान की आधारभूत सुविधा और भावी अभेद्यता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विविध सुपुर्दगी चैनलों में क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के बढ़े हुए

उपयोग से कार्डों के खो जाने / चुरा लिए जाने, आंकड़ों के अंतर्ग्रस्त किए जाने और कार्डों में जालसाज़ी किए जाने के कारण धोखाधडियों के अधिकाधिक रूप से किए जाने की प्रवृत्ति भी परि लक्षित हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान चुंबकीय पट्टी से यूरो पे मास्टर कार्ड वीसा (EMV) चिप और पिन-आधारित कार्डों की दिशा में स्थानांतरित होने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चुंबकीय पट्टी वाला कार्ड मथन (स्किमिंग) और क्लोनिंग के प्रति सुभेद्य है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का सख्ती से पालन करें : भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को सभी लाभ प्राप्त हों, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत अनुदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अननुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रत्युत्तर में सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कार्यान्वित करने वाले सभी बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने के लिए लिखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडिया इंक के लिए सुदृढ़ चारदीवारी के साथ दरवाजे खोले

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब कारपोरेट इंडिया के लिए बैंकिंग में प्रवेश के मार्ग खोल दिए हैं, किन्तु ऐसी कठोर शर्तों के साथ जो स्थावर संपदा कम्पनियों और दलाली फर्मों के लिए दरवाजे बंद कर देती हैं। विविधीकृत स्वामित्व, ठोस प्रत्यायन तथा 10 वर्षों के सफल रिकार्ड वाले समूहों अथवा कम्पनियों को नये बैंकिंग लाइसेंसों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उन्हें स्थावर संपदा और पूंजी बाज़ार की गतिविधियों से 10% या उससे अधिक की आस्तियां अथवा आय नहीं रखने दिया जाएगा। बैंक का गठन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये है। नये बैंकों की स्थापना केवल पूर्णत: स्वाधिकृत, परिचालनेतर नियंत्रक कम्पनी (NOHC) के माध्यम से ही जा सकती है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) के रूप में पंजीकृत होगी, जो उस समूह में बैंक और अन्य वित्तीय सेवा वाली कम्पनियों पर नियंत्रण रखेगी।

बैंक ऋण स्वीकृत करते समय अधिक सावधानी बरतेंगे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अधिकारी ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय यथोचित सावधानी बरतें। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को यह पता चला है कि कई बार प्रभारी अधिकारी एक संक्षिप्त अवधि के लिए अस्थायी तौर पर प्रभारी होने पर ऋण प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर संस्तुतकर्ता अधिकारी की हैसियत से करता है। आयोग सभी अधिका रियों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऋण आवेदन पर अपने हस्ताक्षर करते समय यह देखें कि परि योजना व्यवहार्य है या नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थावर संपदा और पूंजी बाज़ार क्षेत्रों को उधार देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए जोखिम भार बढ़ाए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय जैसे ही अपने व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए विनियमों में अंतरों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से सम्बन्धित सभी विनियमों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में एक दल का गठन किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र ने जनता की निधियों (जमाराशियों) का उपयोग करते हुए तेजी से विकास किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी मानदंडों और वाणिज्यिक स्थावर संपदा एवं पूंजी बाज़ार क्षेत्रों को उधार देने वालों के लिए बढ़े हुए जोखिम भारों की सिफारिश की है। बैंकों के लिए लेखांकन मानदंड गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराने की इच्छुक सभी नयी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों से सम्बन्धित आवश्यकता 2 करोड़ रुपये पर कायम रखी जाएगी, न्यूनतम आस्ति आकार 2 करोड़ रुपये का होगा, जबकि इस सीमा से नीचे वाली मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां पंजीकरण निरस्त करवा सकती हैं अथवा उनसे दो वर्ष के अंत में नया पंजीकरण कराने हेतु कहा जा सकता है। वित्तीय मार्जिन प्रदान करते समय शेयरों के दलालों और व्यापारी बैंकरों के समावेश वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पर्यवेक्षण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट वित्तीय समूह वाला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । 25% और उससे अधिक के किसी भी शेयर धारिता के अंतरण (प्रत्यक्ष या परोक्ष), नियंत्रण में परिवर्तन और किसी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी का विलयन अथवा अभिग्रहण भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से होना चाहिए। जनता से जमाराशियां न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को उनकी आस्तियां 1000 करोड़ रुपये से कम होने पर पंजीकरण से छूट दी जा सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सरफेयसी अधिनियम, 2000 के तहत लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में "टी " कारक

चूंकि भारत बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बेहतर ग्राहक सेवा, पहुंच और लाभप्रदता को सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम. वी. नायर का कहना है कि "यह कार्य-कुशलता लाएगी, प्रबन्धन सूचना प्रणाली में सुधार लाएगी तथा विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करेगी। इस उद्देश्य के लिए सही प्रकार की प्रौद्योगिकी परिनियोजित करना और उसके लिए सही प्रकार के लोगों को नियुक्त करना अति आवश्यक होगा।" ऐक्सिस बैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा का कहना है कि "जहां तक खुदरा बैंकिंग का सम्बन्ध है, प्रौद्योगिकी कम लागत पर विश्वास के निर्माण में सहायक होगी। कुल मिला कर, प्रौद्योगिकी भविष्य में जटिल समझौताकारी समन्वय का समाधान करने में सहायक होगी।"

भारतीय बैंकों को बासेल III के लिए अधिक इक्विटी की आवश्यकता होगी

भारतीय बैंकों की टियर-I पूंजी का औसत अनुपात 9% से थोड़ा ही अधिक था। हालांकि, आगे चल कर उस इक्विटी की अधिक आवश्यकता होगी, जिसका निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। बैंकों द्वारा इक्विटी पूंजी की इस भारी आवश्यकता का प्रबन्ध किया जाना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में उनका पूंजीकरण करने के लिए सरकार को संसाधन जुटाने होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल III की अपेक्षाओं के अनुरूप चलनिधि सम्बन्धी मानदंड नियत करने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों के लिए 24% का सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बनाए रखना अनिवार्य है। शीर्ष बैंक का विचार है कि बैंकों से सांविधिक चलनिधि अनुपातके अलावा और अनिरुद्ध आस्तियां बनाए रखने के लिए कहा जाए, जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अलाभकारी स्थिति में ला सकता है। बैंकिंग उद्योग पहले से ही आधारभूत सुविधा और स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों के प्रति ऋण जोखिम के कारण अनर्जक आस्तियों के बोझ से लड़खड़ा रहा है। अतीत में दर वृद्धियों ने उपभोक्ता मांग को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। निवेश में गिरावट आ गई है, किन्तु उपभोक्ता मांग अधिक या सुदृढ़ बनी हुई है।

विनियामकों के कथन

किसानों को समय पर ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने इस बात पर बल दिया है कि कृषि क्षेत्र को विशेषत: जहां ऋण सुपुर्दगी प्रणाली अत्यधिक कमजोर और जटिल है, यथोचित लागत पर वित्तीय सहायता प्राप्त (subsidized) ऋण दिए जाने के स्थान पर सामयिक और पर्याप्त ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, खेतिहर समुदाय के सभी वर्गों को ऋण के प्रभावी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ऋण का मूल्य-निर्धारण बाज़ार के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। ऋण को प्रौद्योगिकी, भूमि संरक्षण, सिंचाई, भण्डारण एवं विपणन जैसी अन्य सहायक निविष्टियों एवं सम्बन्धित सेवाओं से सुनिश्चित रूप से सम्बद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने यह मत व्यक्त किया है कि सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) द्वारा अर्थव्यवस्था में निभाई जाने वाली अन्तर्रोधी भूमिका के बावजूद एक कुशल बाज़ार के लिए उसमें कमी किया जाना आवश्यक है। "सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी लाना आवश्यक है, ताकि ऋण उपलब्ध रहें और निजी क्षेत्र पर ह्रासकारी प्रभाव न हो।" यद्यपि अधिक सांविधिक चलनिधि अनुपात ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्ष 2008 वाले ऋण संकट पर काबू पाने

में सहायता की थी, तथापि अर्थशास्त्री इसे वित्तीय मंदी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह सरकार की बाज़ार की शक्तियों ने उसे इसके अभाव में जिस दर का भुगतान करने पर विवश कर दिया होता, उससे कमतर दरों पर उधार लेने में सहायता करता है। सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी किए जाने से सरकारी उधार और मंहगे और कारपोरेट उधार अधिक सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें उधार देने के लिए बैंकों के पास अधिक निधियां उपलब्ध होंगी।

पर्याप्त पूंजीकरण के लिए बैंकों को अधिक निधि निषेचन की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा है कि "जबकिं बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कुछ कमी आई होगी, उसके प्रणालीगत जोखिम बनने का कोई प्रश्न नहीं है, यद्यपि अनर्जक आ स्तियों में कुछ वृद्धि के बारे में चिंता मौजूद है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बासेल- III के प्रभाव पर बोलते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं, सरकार को उनमें निधियां लगाना पड़ेगा। सरकार को 51% का हित (stake) बनाए रखना होगा और वह यह सुनिश्चित करेगी कि बैंकों को विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरी की जाए। बासेल -III में यह अपेक्षित है कि अनिरुद्ध आस्तियों के एक भण्डार के माध्यम से चलनिधि का उच्च स्तर बनाए रखा जाए। हमें भय है कि बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात के अलावा और अनिरुद्ध आ स्तियां बनाए रखने के लिए कहना उन्हें प्रतिस्पर्धातमक रूप से हानिकर स्थिति में डालना होगा। अतएव, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि बासेल -III की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से सांविधिक चलनि धि अनुपात को किस सीमा तक बड़ी आस्तियां माना जा सकता है।" बैंकों को लघु और मध्यम उद्यम तथा अप्रतिभूत संविभागों से बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

ऋण की चुकौती करने में गरीब बेहतर

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "समृद्ध लोगों की अपेक्षा गरीब लोग अधिक ऋणपात्र होते हैं। बैंकों को गरीबों को सेवाएं सामाजिक उद्देश्य के बजाय लाभ के उद्देश्य से प्रदान करना चाहिए। यह एक उपयुक्त कारोबारी मॉडल अपनाए जाने से संभव होगा। हमें ईंट और गारे वाले मॉडल और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) वाले मॉडल के संयोजित रूप को लेकर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, पहुंच और व्याप्ति और एक उपयुक्त कारोबारी मॉडल तथा एक व्यवहार्य सुपुर्दगी व्यवस्था के अभाव में उड़ान नहीं भर पाया। ईंट और गारे वाला तथा सूचना संचार प्रोद्योगिकी (ICT) वाला मॉडल, दोनों ही अलग-अलग स्तर पर असफल हो जाते हैं। इन दोनों का संयोजन संभाव्य है। प्रति गांव 2000 तक की आबादी वाले सभी गांवों को या तो शाखा के माध्यम से या फिर कारबार संपर्की के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि, डॉ. चक्रवर्ती ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि प्रौद्योगिकी माल और सेवाओं के उत्पादन को अत्य धिक कम लागत पर संभव बना देती है।" उन्होंने सुझाव दिया है कि गरीबों को कुछेक भुगतान

यथा- खाद्य एवं ईंधन से सम्बन्धित आर्थिक सहायता अथवा नरेगा से सम्बन्धित भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

विदेशी मुद्रा

भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 4.3 बिलियन मिलियन अमरीकी डालर की कमी

मुख्यत: विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCAs) के पुनर्मूल्यन के कारण सितम्बर 2011 में भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 4 बिलियन की भारी गिरावट आई है जिससे वह घट कर 316 ि बलियन अमरीकी डालर रह गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रारक्षित निधियों की सबसे बड़ी घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCAs) 280.7.बिलियन अमरीकी डालर रहीं, जिनमें उपर्युक्त अव धि के दौरान 4 बिलयन अमरीकी डालर की कमी दर्ज हुई। अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCAs) में प्रारक्षित निधि में धारित यूरो, पौंड और येन जैसी गैर-अमरीकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यह्रास के प्रभाव शामिल होते हैं। जहां सोने का प्रारक्षित भण्डार 28 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रहा, वही विशेष आहरण अधिकारों (SDRs) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास प्रारक्षित निधि की स्थिति में क्रमश: 98 मिलियन और 63 मि लियन की गिरावट आई, जो क्रमश: 4.5 बिलियन और 3 बिलियन रह गईं।

अक्तूबर 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.86489	0.5600	0.723 0		

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.86489	0.560	0.723	0.976	1.244
जीबीपी	1.71625	1.2912	1.4101	1.6059	1.7970

यूरो	2.04188	1.519	1.6140	1.800	1.992
जापानी येन	0.55250	0.357	0.3830	0.426	0.491
कनाडाई डालर	1.66583	0.990	1.1700	1.353	1.536
आस्ट्रेलियाई डालर	5.04000	4.028	4.138	4.370	4.495

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**19 अगस्त 2011 के दिन**	**19 अगस्त 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	15 ,42, 878	312,,707
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13, 75 ,531	276, 934
ख) सोना	1, 30, 323	28, 319
ग) विशेष आहरण अधिकार	22, 335	4, 497
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	14, 689	2, 957

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

अर्थव्यवस्था

मंदी के बावजूद भारत की ऋण संभावना अपरिवर्तित

साख श्रेणी निर्धारण फर्म मूडीज के अनुसार अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत की ऋण संभावना के परिवर्तित होने की संभावना नहीं है, यद्यपि घरेलू ब्याज की बढ़ती दरें और अनिश्चित वैश्विक आ र्थिक वातावरण भारत के अल्पावधिक आर्थिक उत्पादन अथवा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को धीमी कर सकते हैं। भारत की मध्यावधिक से दीर्घावधिक वृद्धि संभाव्यता उसकी जनांकिकीय प्रोफांइल, सु दृढ़ बचत एवं निवेश दरों तथा उसके निगमों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा निरंतर उत्कर्ष पर बनी हुई है। मोरगन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार निरंतर आधार वाली मुद्रास्फीति, पूंजी की अधिक लागत सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय व्यय के अनुपात में कमी, वैश्विक पूंजी बाज़ारों के कमजोर वातावरण तथा निवेश की धीमी गति के परिणामस्वरूप वृद्धि की ग ति और मंद हो सकती है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 12

के लिए वृद्धि के अपने अनुमानों को पूर्ववर्ती 7.7% से घटा कर 7.2% कर दिया था। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षो में राजनीतिक, आर्थिक एवं वित्तीय आघातों के प्रति लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। देश की विदेशी मुद्रा आस्तियां उसके वार्षिक विदेशी ऋण चुकौती दायित्व की लगभग चार गुनी हैं। मूडीज यह आशा व्यक्त करती है कि प्रारक्षित नि धियों का यह प्रचुर स्टॉक विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह को एक महत्वपूर्ण अवधि तक पूरा करने में सुविधा प्रदान करेगा।

फर्मों के पूजीगत व्यय में कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि निविष्टियों और पूंजी की बढ़ती लागतों का वर्तमान वर्ष में कम्प नियों के पूंजीगत व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, जिसके पूर्ववर्ती वर्ष से कम रहने की संभावना है। वर्ष 2010-11 में कम्पनियों का पूंजीगत व्यय 382,461 करोड़ रुपये था, जबकि 2011-12 में उनका पूंजीगत व्यय 2,74,919 करोड़ रुपये है। 2004-05 के आधार वाले आईआईपी (ओद्योगिक उत्पादन सूचकांक) से 2011-12 के पहले तीन महीनों में गिरावट के संकेत का पता चला है, जो पूंजीगत माल क्षेत्र में अधिक मुखर है। इससे 2011-12 में निवेश से सम्बन्धित मांग के बारे में कुछ चिंता पैदा होती है। उक्त अध्ययन में वर्ष 2010-11 में कारपोरेट निवेश परिदृश्य का मूल्यांकन करते समय कारपोरेट निवेश के आशय में गिरावट की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। वर्ष 2010-11 में जहां गैर-वित्तीय कारपोरेट क्षेत्र की बिक्री वृद्धि सुदृढ़ बनी रही, वहीं उन्हें निविष्टि की उच्च कीमतों और बढ़ती ब्याज दरों के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। इस प्रकार लाभों में कमतर बढ़ोत्तरी हुई और मार्जिन संकुचित हो गए।

बीमा

इर्डा द्वारा 10 गुना प्रीमियम का आश्वासन

अधिकतम कर-लाभ पाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पारंपरिक पॉलि सियों के लिए प्रीमयम की (वर्तमान में 5 गुनी के समक्ष) 10 गुनी बीमित रकम की सिफारिश की है। धारा 80 सीसी के तहत बीमे पर कर लाभ का दावा करने के इच्छुक लोगों को अपेक्षाकृत बड़ी बीमा सुरक्षा लेनी पड़ेगी। उक्त सिफारिश इस तथ्य पर आधारित है कि यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIPs) की तुलना में पारंपरिक योजनाओं में कमतर जीवन सुरक्षा उपलब्ध होती है। इसके अलावा, वे यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं, जिनमें पॉलिसी धारकों को निधियां चुनने और तदनुसार निवेश करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है, की तुलना में अपारदर्शी होती हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निवेश सम्बन्धी दिशानिर्देशों का पालन करती हैं। प्रत्यक्ष कर खण्ड ने यह सुझाव दिया है कि जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रदत्त वार्षिक प्रीमियम उसकी बीमित रकम के 5% से अधिक होने पर, करयोग्य होगा। इसके लिए कटौती का पात्र बनने के उद्देश्य से बीमित रकम को

प्रीमियम की कम से कम 20 गुनी होनी चाहिए तथा इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवल मीयादी पॉलिसिया ही कटौती की पात्र होंगी।

इर्डा ने बीमांककों के पात्रता मानदंड परिवर्तित किए

जोखिम के वित्तीय प्रभाव तथा बीमा व्यवसाय में अनिश्चितता की संवीक्षा को बढ़ाने की एक मुहिम के तहत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) बीमांककों (मूल्य जोखिमों का निर्धारण करने वाले विशेषज्ञों) की नियुक्ति के मानदंडों को कठोर बना रहा है। निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों के पास 6-10 सदस्यों वाला बीमांककों का एक दल होता है, जीवन बीमा कम्पनियों के पास 10-35 बीमांकक होते हैं, जबकि सरकार द्वारा स्वाधिकृत अधिकांश बीमाकर्ता वैयक्तिक परामर्शदाता नियुक्त करते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का कहना है कि 2013 और उसके बाद से किसी बीमांकक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 65 वर्ष से कम आयु वाला तथा कम्पनी का / की ही कर्मचारी हो। इसके अलावा, उसे इस उद्योग का 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला /वाली तथा जीवन या सामान्य बीमा कम्पनी में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा किया हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे बीमांकक की सह-सदस्यता (फेलोशिप) प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव रखना भी आवश्यक होगा। यद्यपि देश में 129 अर्हताप्राप्त बीमांकक मौजूद हैं, संभवत: केवल 5-8 ही इन व्यापक मानदंडों को पूरा कर पाएंगे।

नयी नियुक्तियां

- श्री सुरेश कुमार जैन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- श्री एम. आंजनेय प्रसाद को सिण्डिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- श्री असित ओबेराय की येस बैंक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है।

- श्री जी श्रीनिवासन को न्यू इंडिया अश्योरेंस के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 20-40% की गिरावट आ सकती है

देश में सूक्ष्मवित्त क्षेत्र द्वारा इस वित्त वर्ष में 31 मार्च 2012 तक 20-40% की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। सूक्ष्मवित्त संस्थान नेटवर्क (MFIN) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारतीय सूक्ष्मवित्त के इतिहास में पहली बार उक्त उद्योग में नकारात्मक प्रवृत्ति दर्ज किए जाने की संभावना है । उक्त नेटवर्क 46 बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक पंजीकृत निकाय है। इस संकुचन के कारण हैं बैंकों से सीमित निधिक सहायता और आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संस्था (विनियमन अधिनियम) द्वारा पैदा हुई अनिश्चिताएं। बैंक ऋण अब भी एक मुद्दा बना हुआ है और कई एक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अब भी पर्याप्त नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बैंकों ने सूक्ष्म वित्त संस्था ऋण पुनर्व्यवस्था में वैयक्तिक प्रतिभू खण्ड निरस्त किए

आईसीआईसीआई बैंक, एचएफडीसी बैंक और ऐक्सिस बैंक उन ऋणदाताओं में शामिल हैं, जिन्होंने चार सूक्ष्मवित्त कम्पनियों को प्रतिमोचित करने के लिए वैयक्तिक गारंटी वाले खण्ड को निरस्त कर दिया है, किन्तु कारबार संभाव्यताओं में भारी सुधार न होने पर वे 7000 करोड़ रुपये की ऋण पुनर्संरचना के मामले में अधर में लटके रहेंगे। इन बैंकों ने स्पंदन स्फूर्ति, अस्मिता माइक्रोफिन, शेयर माइक्रोफिन, ट्राइडेंट माइक्रोफिन और फ्यूचर फाइनैन्सियल को ऋण पुनर्संरचना में शामिल कर रखा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये खाते अनर्जक ऋणों के रूप में वर्गीकृत न कर दिए जाएं वैयक्तिक गारंटी का त्याग कर दिया है।

हताश सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने आंध्र प्रदेश में पिछले ऋणों की दरों में कटौती प्रस्तावित की

आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने 10000 करोड़ रुपये से अधिक वसूल न होने वाले ऋणों के एक अंश को वसूल करने की हताशा में विगत ऋणों पर ब्याज दरों को घटा कर 15% करने का प्रस्ताव किया है। उक्त उद्योग में एक तिहाई हिस्सेदारी रखने वाले राज्य द्वारा वसूली अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत किए जाने के कारण ऋण वसूली की विधि को सीमित कर दिए जाने के बाद कई एक सूक्ष्म वित्त कम्पनियों के समक्ष दिवालियेपन की स्थिति उपस्थित हो गई है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

यूटीआई म्यूचुअल फंड	केनरा बैंक सिक्योरिटीज	केनरा बैंक सिक्योरिटीज अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से यूटीआई म्यूचुअल फंड की विविध योजनाएं उपलब्ध कराएगी। यूटीआई म्यूचुअल फंड को समाज के अपेक्षाकृत व्यापक खण्ड तक अपना प्रसार क्षेत्र बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा।
आईसीआईसीआइ बैंक	अमेरिका स्थित ओपेंथीमर इन्वेसटमेंट्स ए शिया	इस गंठजोड़ में इक्विटी और ऋणगत पूंजी बाज़ारों, परामर्शी, निजी इक्विटी लेनदेनों एवं संपदा प्रबन्धन का समावेश होगा। यह भारतीय कम्पनियों की अमेरिका में भारतीय प्रस्तावों एवं अभिनियोजनों को वितरित करने हेतु अमरीकी सिक्योरिटीज में प्रवेश करने में भी सहायता करेगा।
एचएफडीसी बैंक	टीवीएस मोटर्स	एचएफडीसी टीवीएस मोटर कम्पनी के व्यापारियों को ऑनलाइन निधि अंतरण, ऑनलाइन चुकौती और खाते को तत्काल देखने की सुविधा सहित निधिक सु विधा उपलब्ध कराएगा।
बैंक ऑफ इंडिया	भारतीय थलसेना	थलसेना के कार्मिकों को कई एक रियायतें देते हुए, सरल ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करते हुए, गृह एवं वाहन ऋणों से सम्बन्धित रियायत तथा कार्रवाई शुल्क की माफी सहित जय जवान सैलरी प्लस के रूप में पैकेज की विशेष विशिष्टता वाले वेतन खाते खोलने हेतु समझौता ज्ञापन।
सिंडिकेट बैंक	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस	सिंडिकेट बैंक देश में स्थित अपनी सभी शा खाओं में अपने आवास ऋण उधारकर्ताओं को एकबारगी प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर टाटा एआईजी की टोटल सुरक्षा योजना उपलब्ध कराएगा। उक्त उत्पाद को ऋण की शेष राशि को उक्त ऋण की शेष अवधि में सुरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक बैंकों में उस जोखिम प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का संप्रत्ययन करने एवं उपलब्ध कराने में सहायक होता आ रहा है जिसे बासेल -II दिशानिर्देशों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय बैंक बासेल -II दिशानिर्देशों को उसके लिए यथोचित उन्नत प्रबन्धन दृष्टिकोण (AMA) के साथ कार्यान्वित कर रहे हैं। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने हाल ही में अधिक कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें मुख्यत: बासेल-III के रूप में जाना जाता है। हम इस अंक से बासेल -III दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में कुछेक

मूलभूत जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

"बासेल-III" बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण एवं जोखिम प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा तैयार किया गया सुधार सम्बन्धी उपायों का एक व्यापक सेट है। इन उपायों का लक्ष्य है :

- चाहे जिस किसी भी स्रोत से पैदा होने वाले वित्तीय एवं आर्थिक दबावों के आघातों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की सामर्थ्य को बढ़ाना।
- जोखिम प्रबन्धन एवं अभिशासन में सुधार लाना।
- बैंकों की पारदर्शिता एवं प्रकटन में सुधार लाना।

सुधारों का लक्ष्य है :

- बैंक के या सूक्ष्म-विवेकपूर्ण स्तर पर विनियमन, जो दबाव की अवधियों में अलग-अलग बैंकिंग संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाएगा।
- सूक्ष्म-विवेकपूर्ण, प्रणाली-व्यापक जोखिम, जिसका सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में जमावड़ा हो सकता है तथा उसके साथ ही कुछ समय के बाद इन जोखिमों का पूर्व-चक्रीय विस्तारण।

पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में ये दोनों ही दष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि अलग-अलग बैंक के स्तर पर महत्तर लोच प्रणाली-व्यापक आघातों में कमी ला देता है।

बासेल -III के उस ढांचे को इसके नीचे सारांशीकृत किया गया है, जो समिति द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का एक विहगावलोकन प्रदान करते हैं।

स्तंभ-I : पूंजी

पूंजी की गुणवत्ता और उसका स्तर

सामान्य इक्विटी पर अधिकाधिक संकेन्द्रण। न्यूनतम को बढ़ा कर कटौती के बाद जोखिम-भारित आस्तियों के 4.5% तक किया जाएगा।

"लाभार्जक (Gone) संस्थान" आकस्मिक पूंजी

"लाभार्जक (Gone) संस्थान" पूंजी प्रस्ताव में बैंक अव्यवहार्य समझे जाने पर सम्बन्धित प्राधिकारी के विवेक पर बट्टे डालने या सामान्य शेयरों में परिवर्तन की अनुमति देने वाले एक खण्ड को शामिल करने हेतु पूंजीगत लिखतों की संविदात्मक शर्त की आवश्यकता होगी। "लाभार्जक (Gone) संस्थान" आकस्मिक पूंजी भावी बैंकिंग संकटों से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के अंशदान को बढ़ा देती है तथा उसके द्वारा नैतिक संकटों में कमी ला देती है।

पूंजी उपभोग का अन्तर्रोध

जोखिम-भारित आस्तियों के 2.5% की सामान्य इक्विटी का समावेश, कुल सामान्य इक्विटी मानक को 7% पर लाना। किसी बैंक के विवेकाधीन वितरण पर रोक तब लगाई जाएगी, जब बैंक अन्तर्रोधी श्रेणी में आएगा।

प्रतिचक्रीय अन्तर्रोध जब प्रधिकारीगण इस निर्णय पर पहुचेंगे कि ऋण वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम का अस्वीकार्य स्तर तक जमावड़ा हो रहा है, 0-2.5% की श्रेणी के भीतर लागू किया जाएगा।

जोखिम व्याप्ति

प्रतिभूतिकरण

कुछेक जटिल प्रतिभूतिकरणों के मामले में पूंजी विवेचन को सुदृढ़ बनाता है। बैंकों से बाहरी तौर पर श्रेणी निर्धारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों अधिक कठोर ऋण विस्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

व्यापार बही

व्यापार और व्युत्पन्नी गतिविधियों और उनके साथ ही व्यापार बही में धारित जटिल प्रतिभूतिकरणों के लिए उल्लेखनीय रूप से अधिक पूंजी। अग्र-चक्रीयता को न्यूनीकृत करने में सहायता के लिए एक वि शिष्ट जोखिम मूल्य ढांचे की शुरूआत।

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम ढंचे का पर्याप्त सुदृढ़ीकरण। एक्सपोजर को मापने हेतु अधिक कठोर अपेक्षाओं, व्युत्पन्नियों के लिए केन्द्रीय प्रतपक्षकारों का उपयोग करने के लिए बैंकों को पूंजीगत प्रोत्साहनों और अंतर-वित्तीय क्षेत्र के एक्सपोजरों के लिए अधिक पूंजी का समावेश है।

उत्तोलन को नियंत्रित रखना

उत्तोलन (Leverage) अनुपात

एक ऐसा गैर-जोखिम आधारित उत्तोलन अनुपात जिसमें तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर शामिल हों, जो जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं पर बैकस्टॉप का काम करे। इसके अलावा, उत्तोलन के प्रणाली व्यापक जमावड़े को नियंत्रित करे।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

विकल्प

एक ऐसा वित्तीय व्युत्पन्नी जो एक पक्षकार (विकल्प लेखक/निर्माता) द्वारा एक दूसरे पक्षकार (विकल्प धारक) को बेची गई संविदा का निरूपण करता है। उक्त संविदा क्रेता को एक निश्चित समयावधि के दौरान अथवा किसी विनिर्दिष्ट तिथि (प्रयोग की तिथि) को किसी प्रतिभूति या अन्य वित्तीय आस्ति को एक सहमत मूल्य (तय कीमत) पर खरीदने (क्रय करने) और बेचने (विक्रय करने) का अधिकार किन्तु दायित्व नहीं प्रदान करती है। क्रय विकल्प एक निश्चित कीमत पर खरीदने का विकल्प प्रदान करते हैं, ताकि खरीदार स्टॉक की कीमत में वृद्धि की अपेक्षा कर सके। विक्रय विकल्प एक निश्चित कीमत पर बेचने का विकल्प प्रदान करते हैं, ताकि खरीदार स्टॉक की कीमत में कमी होने की अपेक्षा कर सके।

शब्दावली

प्राथमिक व्यापारी

एक पूर्वानुमोदित बैंक, दलाल / व्यापारी अथवा अन्य वित्तीय संस्था, जो अमरीकी फेडरल रिज़र्व के साथ नये सरकारी ऋण की हामीदारी करने जैसे व्यावसायिक सौदे करने में समर्थ हो। इन व्यापारियों को चलनिधि एवं गुणवत्ता सम्बन्धी कुछेक अपेआओं तथा उसके साथ ही फेडरल रिज़र्व को विश्वव्यापी बाज़ारों के बारे में सूचना के बहुमूल्य प्रवाह उपलब्ध कराने के कार्य को अवश्य पूरा करने वाला होना चाहिए। ये प्राथमिक व्यापारी, जो सभी सरकारी संविदाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोलियां लगाते हैं, नीलामी में अधिसंख्यक खज़ाना प्रतिभूतियां खरीदते हैं और फिर उन्हें इस प्रक्रिया में प्रारंभिक बाज़ारों का सृजन करते हुए अपने ग्राहकों को बेच देते हैं।

संस्थान की गतिविधियां

टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग

संस्थान ने टाटा इंटरऐक्टिव सिस्टम के सहयोग से 20 और 21 अक्तूबर 2011 को टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग पर एक द्विदिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

वेबेक्स कक्षाएं : संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के ि लए वेब कक्षाओं का आयोजन कर रहा है। सत्रों में प्रवेश की अनुमति ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने नवम्बर / दिसम्बर 2011 की परिक्षाओं के लिए पंजीकरण करा रखे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

छद्म परीक्षा

संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए 1 अक्तूबर 2011 से छद्म परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

परियोजना वित्त

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 16वें प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 21 नवम्बर से 26 नवम्बर 2011 तक आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संपर्क कक्षाएं

आंचलिक कार्यालयों द्वारा आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

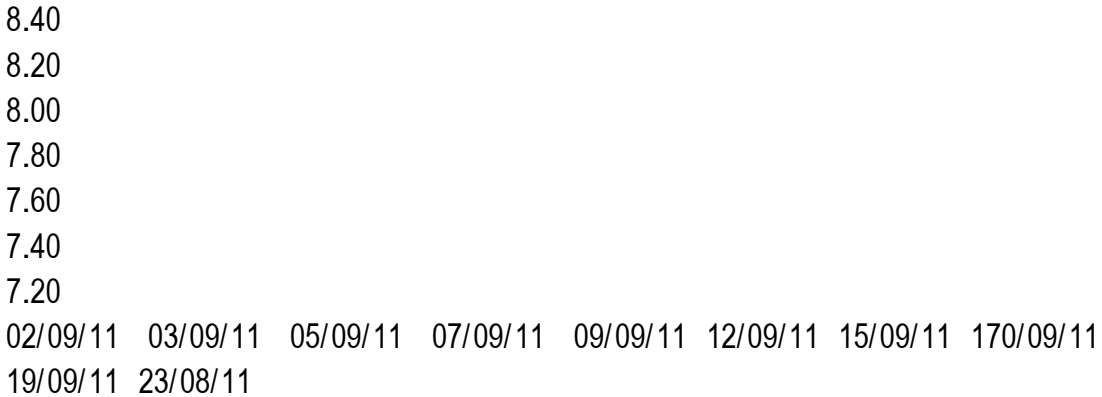

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2011

- माह के दौरान मांग दरें सामान्यत: श्रेणीबद्ध बनी रहीं।
- 3री को मांग दरें 7.48 पर पहुंच गई, जो माह का न्यूनतम स्तर था।
- अंतिम सप्ताह में चलनिधि का कुछ अभाव रहा।
- मांग दरें पुनर्खरीद (रेपो) दरों के अनुरूप रहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

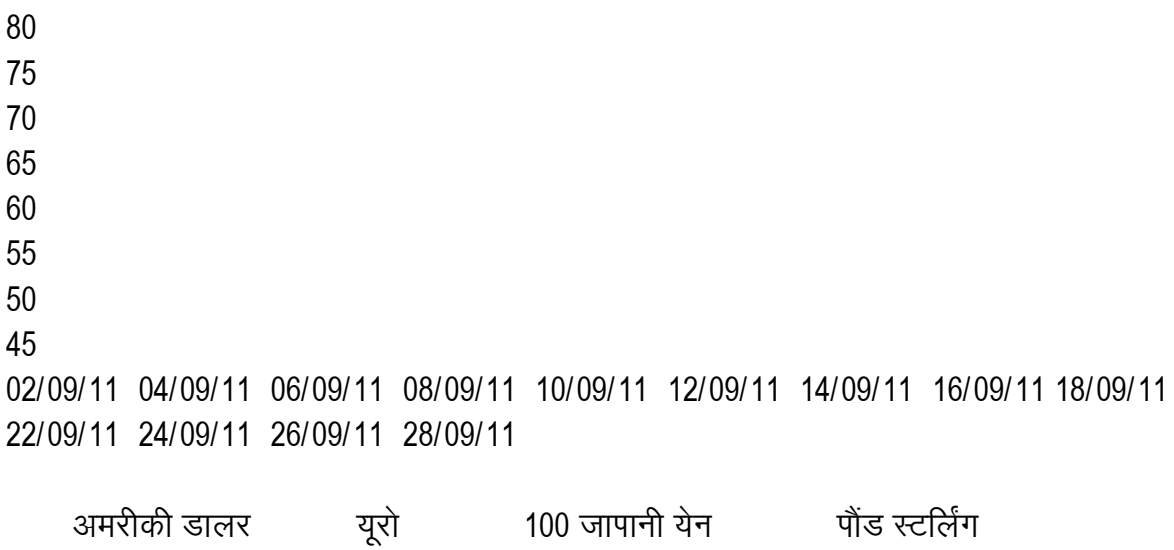

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- रुपया अमरीकी वेतन चिठ्टे के आकड़ों के जारी किए जाने से पहले स्थानीय शेयरों के अभिलाभ की सहायता से 2री को सतर्क व्यापार के साथ मज़बूत हुआ, किन्तु तेल आयातकों से डालर की मांग ने इस वृद्धि को सीमित रखा।
- ,जर्मनी और फ्रांस के कठिनांयों से गुजरते भागीदारों को बचाने के अनिच्छुक होने के परिणामस्वरूप यूरो क्षेत्र की समस्याएं बढ़ जाने के कारण 12 वीं को रुपया 47.05 प्रति डालर की दर पर 14 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया।
- 13वीं को डालर के समक्ष रुपये के कमजोर पड़ने की प्रवृत्ति जारी रही और वह 47.47 प्रति डालर की दर पर 16 माह के न्यूतम स्तर पर पहुंच गया। यूरो क्षेत्र के ऋण ने व्यापारियों की भावनाओं को प्रभावित करना जारी रखा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का कहना है कि वैश्विक जोखिम विमुखता के परिणामस्वरूप हाल के सप्ताहों में रुपये का मूल्यह्रास हुआ है, जिसका मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल निहितार्थ हुआ होगा।
- स्थानीय शेयरों में वृद्धि के बावजूद 19वीं को अमरीकी मुद्रा की वैश्विक कमी के बीच डालर के समक्ष रुपया घट कर 47.82 पर आ गया।
- 22वीं को 21वीं के 49.26 के स्तर से घट कर 49.58 पर बंद हुआ, इस प्रकार दो माह में 10% की गिरावट

आई। रुपये के घट कर 49.15 प्रति डालर हो जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। डालर के समक्ष यूरो गिर कर सात माह के न्यूनतम स्तर 1.3465 प्रति डालर पर आ गया।

- 28वीं को रुपयाइस वर्ष में 9% की गिरावट दर्ज करते हुए गिर कर प्रति डालर 49.13 हो गया।
- पूरे माह के दौरान डालर के समक्ष रुपया 6.6% मूल्यह्रासित हुआ।
- जबकि यूरो के समक्ष 12वीं तक रुपये में 2.66% की मूल्यवृद्धि हुई, माह के दौरान 1.90% का मूल्यह्रास दर्ज हुआ।
- जापानी येन और स्टर्लिंग-पौंड के समक्ष क्रमश: 6.93% और 2.96% का मूल्यह्रास दर्ज करते हुए रुपये में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17400
17200
17000
16800
16600
16400
16200
16000
02/09/11 05/09/11 08/09/11 12/09/11 15/09/11 16/09/11 19/09/11 20/09/11
21/09/11 23/09/11 27/09/11 29/09/11

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अक्तूबर, 2011